In the court of A.D.J-VII, Kaimur at Bhabua

क्रिमिनल रिवीजन सं0–169/2019

विन्देश्वरी प्रसाद सेठ

बनाम

बिहार राज्य

SL. No.	Date	Order	Remarks
	22.01.2020	वाद में आज तिथि नियत है। उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। यह वाद आज आवेदक विन्देश्वरी प्रसाद सेठ की तरफ से दिनांक 19.12.2019 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है, जिसमें निवेदन किया गया है कि इस वाद में बिहार सरकार को विपक्षी संख्या–1 बनाया गया है, जबकि परिवाद–पत्र में नामित अभियुक्तों को भी पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। इन कथनों के आधार पर आवेदक के तरफ से निवेदन किया गया है कि आवेदक के इस आवेदन में वर्णित अभियुक्तों को इस वाद में पक्षकार बनाने एवं तत्पश्चात् सुनवाई किए जाने का आदेश देने की कृपा की जाय। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तावित पक्षकारों का नाम भी अंकित किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी विन्देश्वरी प्रसाद सेठ द्वारा परिवाद–पत्र में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध मूल परिवाद वाद संख्या–1103/2018 दाखिल किया गया था एवं विद्वान ए.सी. जे.एम.–4 द्वारा दिनांक 05.09.2019 को	

	<u>लगातार</u> 22.01.2020	आदेश पारित करते हुए परिवादी के इस परिवाद वाद को खारिज कर दिया गया था एवं इसी आदेश दिनांक 05.09.2019 से विक्षुब्ध व असंतुष्ट होकर आवेदक विन्देश्वरी प्रसाद सेठ द्वारा यह क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया है एवं आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 19.12.2019 के माध्यम से इस क्रिमिनल रिवीजन में परिवाद वाद संख्या–1103/2018 में नामित अभियुक्तों को पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया है। अतः इन समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं न्याय हित में आवेदक के आवेदन दिनांक 19.12.2019 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के आलोक में इस रिवीजन अभिलेख में सुधार करें एवं आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वे इन पक्षकारों की उपस्थिति हेतु नोटिस के संदर्भ में एक सप्ताह के भीतर नोटिस का आपेक्षित दाखिल करें। वाद दिनांक 31.01.2020 को आपेक्षित दाखिल करने हेतु। लेखापित Sd/ अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्	